

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किल रीवा  
जिला रीवा (म0प्र0)

146



Rs. 20/-

अपील - A - 2517 - III / 14

वीरेन्द्र आर्या तनय स्व0 महावीर प्रसाद आर्या निवासी आर्या भवन गोविन्दगढ़  
रोड रीवा म0प्र0 द्वारा एटार्नी होल्डर संदीप तिवारी तनय मदन मोहन तिवारी

निवासी बजरंग नगर रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

वी. का. 025/00/11/14  
द्वारा आज दिनांक 11-7-14 के  
प्रस्तुत किया गया।

.....अपीलाण्ट

रीवा  
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

अमित जयसवाल तनय जवाहर लाल जयसवाल निवासी 3/16 ए छोटालालपुर  
थाना पाण्डेयपुर (उ0प्र0)

.....रेस्पाडेन्ट

कमांक 2514  
एटार्नी पोस्ट द्वारा आज  
का प्राप्त

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त  
महोदय रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 के आदेश  
दिनांक 11.06.2014 प्रकरण क्र0 00/2014  
अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0भू0रा0सं0 1959  
ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न है :-


01. यह कि आवेदक/अपीलाण्ट ने भूमि नं0 324/3 रकवा 0.74 एकड़ स्थित  
ग्राम बरा को रेस्पाडेन्ट से दिनांक 09.02.2001 को जरिये पंजीकृत विक्रय  
पत्र द्वारा क्रय किया एवं क्रय दिनांक से मौके से आवेदक/अपीलाण्ट को  
कब्जा प्राप्त हो गया। किन्तु आवेदक उक्त भूमि में आर्थिक परेशानी के  
कारण कोई निर्माण न करा सका व उस समय बाहर होने से नामांतरण नहीं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-A.2517-III/14

जिला-रीवा

वीरेन्द्र आर्या/अमित जायसवाल

(1)	(2)	(3)
27.04.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	